डिक्री बमूकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत–फरड़ोद

मु0न0 47/2018

वादीगण–

1. जसुकंवर पुत्री अर्जुन सिंह
2. सुवाकंवर पुत्री अर्जुन सिंह जातियान राजपूत निवासीगण गुगरियाली तहसील जायल ,नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. मीरा कंवर पत्नी अर्जुनसिंह
2. सोनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण गुगरियाली।
3. महावीरदास पुत्र रामनिवास जाति साद निवासी गुगरियाली
4. अनोपसिंह
5. शैतानसिंह
6. मोतीसिंह
7. रतनसिंह पुत्रगण किशोरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण गुगरियाली तहसील जायल जिला नागौर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53,88,188

राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–22.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्तागण वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. यह घोषणा की जाती है कि मौजा गुगरियाली का खेत ख नं 946/2 रकबा 12 बीघा तथा ख नं 947/84 रकबा 08.02 बीघा तथा ख नं 77 रकबा 02.16 बीघा में से 1/5 हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का है तथा इसमें इनका प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है लेकिन इसमे से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा ख नं 946/2 में से बेचान किये गये 4–4 बीघा भाग को इनके कुल हिस्से में से कम किया जाता है ।
2. उपरोक्त खातों से पेमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह का नाम हटाया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 का ख नं 946/2 में से 2/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x योगो तक x को अदा करे। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.05.2018 को जारी किया गया ।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल

उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सावूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी"नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल

उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner